भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल मे ईईजी तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ईईजी तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे , (Thenkholal Baite) अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं . 405ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in. पर ईमेल कर सकते हैं।

जी. सामंता

(जी.पी. सामंता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061521

नई दिल्ली
दिनांक : 25-6-2018

[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख :.................... 2017

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली भर्ती नियम, 1973 को, जहाँ तक ये डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ईईजी तकनीशियन से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जा चूका है या करने का लोप किया गया है, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ईईजी तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल (ई.ई.जी. तकनीशियन) (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2017 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका पे मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

5. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ई.ई.जी. तकनीशियन	2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, गैर अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	अधिकतम आयु 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (नाकि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
(i) एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रोनिक तथा इलैक्ट्रिकल कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में बी टेक। या (ii) एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रोनिक तथा इलैक्ट्रिकल कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
10.
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण 1. पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य कारणों से एक से अधिक वर्ष की अवधि के लिए हुई रिक्ति को केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है जो मूल केडर व विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर धारित हो तथा कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती हेतु यथा निर्धारित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों| टिप्पणी 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, की अवधि, 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी । टिप्पणी 3. प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।